समयबद्ध/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–VII 2414/9–1–2017–2निर्वाचन/2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग।

सेवा में,

समस्त, जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 02 अगस्त, 2017

विषय–नगरीय निकायों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में कक्षों का निर्धारण एवं परिसीमन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक शासनादेश संख्या–3482/9–1–2017–2निर्वाचन/2017 दिनांक–19.07.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि परिसीमन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के दृटिगत पूर्व में किये गये परिसीमन का जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाकर पुनः परीक्षण कर लिया जाय तथा आवश्यकतानुसार संशोधित कक्षों की संख्या का निर्धारण एवं परिसीमन का अनन्तिम प्रस्ताव निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को दिनांक 31.07.2017 तक उपलब्ध कराया जाय।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि जिन निकायों में पूर्व में किये गये परिसीमन में कोई परिर्वतन हो रहा हो, केवल उन्ही निकायों के परिसीमन का संशोधित प्रस्ताव निर्धरित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय एवं जिन निकायों में पूर्व में किये गये परिसीमन में कोई परिर्वतन न हो रहा हो तो ऐसे निकायों के सापेक्ष केवल यह अंकित कर प्रेषित किया जाय कि "नागर निकाय.......... (निकाय का नाम) के पूर्व में किये गये परिसीमन में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है।"

3. उक्तानुसार जनपद के समस्त नागर निकायों की संकलित सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक–03.08.2017 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Manoj 1.8.17

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों के अनुसार नगरीय निकायों के कक्षों का निर्धारण करते हुए परिसीमन का प्रस्ताव प्राप्त कर तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।

3– समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

El-17G